दिनांक 05.09.2016 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के नगर निगम/नगर परिषद के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

2. **स्वच्छ भारत मिशन** :– शौचालय निर्माण में पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर एवं कटिहार काफी पीछे हैं तथा यहॉ लक्ष्य से काफी कम शौचालय का निर्माण हुआ है। इन जिलों में विशेष अभियान चलाकर निर्माण कार्य में तेजी लाया जाय। अब तक जितने भी शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है तथा जितने में कार्य किया जा रहा है उसकी संख्या एवं अद्यतन फोटो ऑनलाईन अपलोड कराकर प्रतिवेदन MIS के माध्यम से भेजें ताकि इसका सतत् अनुश्रवण किया जा सके।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

3. **Housing for All:-** कुल स्वीकृत 30216 आवासीय ईकाई का निर्माण कार्य निश्चित रूप से अगस्त माह में पूरे बिहार में प्रारंभ किये जाने का निश्चय किया गया था। इसके लिए सभी आवश्यक प्रकिया पूर्ण कर लाभुकों को कार्यादेश विभागीय निदेशों का अनुपालन करते हुए दिया जाना था। परन्तु अभी कई निकाय ऐसे हैं जहॉ शत–प्रतिशत कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। कुछ निकायों द्वारा प्रत्येक दिन प्रतिवेदन नहीं भेजा जा रहा है। साथ ही कई निकायों द्वारा लाभुकों की सूची को डी.पी.आर. से संबद्ध नहीं किया गया है तथा मोबाईल को रजिस्टर्ड नहीं किया गया है जिसके कारण Geo Tagging का कार्य नहीं हो पा रहा है। वैसे सभी नगर निकाय जहॉ की प्रगति संतोषप्रद नहीं है, को निदेश दिया जाता हे कि लंबित सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके हर हाल में सितम्बर माह में सबके लिए आवास योजना में स्वीकृत सभी आवासीय ईकाई में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दें तथा विहित प्रपत्र में दैनिक प्रतिवेदन प्रतिदिन 3.00 बजे अपराह्न तक निश्चित रूप से भेजें।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

4. **IHSDP**:– इस कार्यक्रम की प्रगति बहुत ही धीमी है। इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा एक शपथ दायर किया गया है जिसमें मार्च 2017 तक के लिए कार्ययोजना बनाकर न्यायालय में समर्पित किया गया है। प्रथम तिमाही 30 सितम्बर, 16 तक निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूरा कर लिया जाय। जिन निकायों में राशि का अभाव है उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विभाग से राशि की मॉग करने का निदेश दिया गया। जिन आवासीय इकाई में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है उसमें सितम्बर माह में निश्चित रूप से निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

5. **DAY-NULM** :- पुराने रैनबसेरों का जीर्णोद्धार कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। कुछ निकायों द्वारा रैनबसेरा में अवैध कब्जा होना बताया गया है। अवैध कब्जा हटाने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया

जाय। नये रैनबसेरों का निर्माण कार्य शीघ्र पुरा करा लिया जाय। जिन रैनबसेरों का जीर्णोद्धार एवं नये रैनबसेरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है उसके संबंध में विभाग को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें।

स्वरोजगार हेतु प्राप्त आवेदनों को जॉचकर शीघ्र बैंक में भेजें। कुछ निकायों में आवेदन प्राप्ति शून्य है। वहॉ सी.एम.एम.यू. कर्मी के माध्यम से अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करना एवं उसे बैंक में भेजना सुनिश्चित करें।

वेन्डिंग जोन निर्माण हेतु स्थान चिन्हित कर अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

6. **राजीव आवास योजना**:–दरभंगा नगर निगम में बड़ी संख्या में अभी भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। नगर आयुक्त, दरभंगा इस संबंध में अभियान चलाकर जिन आवासीय ईकाई का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्रारंभ करें तथा इसका सतत अनुश्रवण करें। नगर आयुक्त, पटना द्वारा पटना नगर निगम में फेज–1 एवं फेज –2 के तहत इस माह में 1500 आवासीय ईकाई में कार्य प्रारंभ किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया। फेज–3 का कार्य बुडको द्वारा किया जा रहा है । बुडको की कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं है। निदेश दिया जाता है कि योजना का सतत् अनुश्रवण करें। यदि राशि की कमी है तो विभाग से राशि की मॉग करें साथ ही व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेजें। अभी तक जितना आवास पूर्णरूपेण पूर्ण है उसका प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करा दें। वैसे आवासीय ईकाई जिसमें निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो पाया है उसमें अभियान चलाकर अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

7. **राजस्व (होल्डिंग टैक्स) वसूली**:– टैक्स वसूली पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। प. चंपारण, बीहट, बेगुसराय, जमुई, लखीसराय, मसौढ़ी, नरकटियागंज में कर संग्रहण बहुत ही कम हुआ है। यहॉ विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल किया जाय। कुछ निकायों द्वारा इस संबंध में ससमय प्रतिवेदन भी नहीं भेजा जा रहा है। ससमय प्रतिवेदन भेजा जाय। जहॉ कर संग्राहकों की कमी है वहॉ 4 प्रतिशत कमीशन पर कर संग्राहक रखकर वसूली किया जाय। जिस निकाय का सर्वे नहीं हुआ है वहॉ मिनिमम निर्धारित होल्डिंग टैक्स वसूल करना सुनिश्चित करें। पटना नगर निगम में टैक्स वसूली में प्रगति लाने की आवश्यकता है। इस हेतु इन बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है– 1. उर्जा विभाग, बिहार से पटना नगर निगम के क्षेत्राधीन सभी विद्युत उपभोक्ताओं की सूची (नाम, पता, मोबाईल नं0 आदि)/ सभी वार्डों के आवासों की विवरणी प्राप्त कर उसे होल्डींग टैक्स हेतु टैग कर नोटिस दिया जाय। 2. होल्डींग टैक्स ऑनलाईन जमा होता है। उसमें उपलब्ध डाटा से जिनके द्वारा वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 का टैक्स जमा नहीं किया गया है इसकी सूची उपलब्ध कराकर तथा जिनका पंजीकरण किया जा चुका है पर टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं उनके विरूद्ध आवश्यकतानुसार नोटिस दिया जाय। 3. टैक्स संग्राहकों को POS मशीन उपलब्ध करायें जो GPRS से संबद्ध रहेगा ताकि उससे जो भी कैश और कार्ड से राशि जमा होगी वह रिकार्ड रहेगा जो e-municipality software में अपडेट होता रहेगा। 4. डाक घर के साथ एग्रीमेंट किया जाय जिसमें डाक घर में 8–10 काउंटर उपलब्ध कराना है

और वहॉ e-municipality software के माध्यम से टैक्स जमा करेंगे। इस हेतु 2–2.5 प्रतिशत कमीशन दिया जा सकता है।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

8.<u>सहायक अनुदान की राशि:–</u> वित्तीय वर्ष 2003–04 से वर्ष 2014–15 तक सहायक अनुदान की राशि जो नगर निकाय के पी.एल. खाता में जमा है उस राशि को सरकार के खजाने में चलान द्वारा जमा करने का निदेश पूर्व में भी दिया गया है। इस संबंध में सभी निकाय को विभाग द्वारा एक प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। इस प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ भरकर दिनांक 08.09.2016 तक निश्चित रूप से भेज दिया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

12/9/2016

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 6243 न. वि. एवं आवास विभाग/ पटना, दिनांक 14/9/2016
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रषित।

12/9/2016

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 6243 न. वि. एवं आवास विभाग/ पटना, दिनांक 14/9/2016
प्रतिलिपि– नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/ कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/9/2016

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 6243 न. वि. एवं आवास विभाग/ पटना, दिनांक 14/9/2016
प्रतिलिपि– सभी विभागीय पदाधिकारी/ मुख्य अभियंता, बुडा, टीम लीडर, स्पर/ अभियंत्रण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/9/2016

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव